न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः सुमित्रा पारीक, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 06/2024

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

1. गैर सायल गोपाल पुत्र नाथूलाल जाति पूर्विया निवासी सींगवाडा थाना सदर जिला दौसा।

(कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975)

उपस्थिति : लोक अभियोजक श्री गोपाल लाल शर्मा उपस्थित ।
: गैर सायल गोपाल पुत्र नाथूलाल स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः–28.10.2024

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना सदर जिला दौसा की ओर से पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा संक्षिप्त वाक्यात इस प्रकार से है कि गैर सायल गोपाल पुत्र नाथूलाल जाति पूर्विया निवासी सींगवाडा थाना सदर जिला दौसा के विरूद्ध निम्नलिखित मुकदमे दर्ज होकर चालान अदालत में पेश हुये है। गैर सायल के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र.स.	मुकदमा नम्बर	कायमी दिनांक	धारा	चार्जशीट नम्बर	चार्जशीट दिनांक	फैसला
1.	339/11	24.08.2011	13 RPGO	208/11	26.08.2011	100 रूपये अर्थदण्ड सजा दिनांक 27.08.11
2.	264/20	04.09.2020	13 RPGO	224/23	11.09.2020	200 रूपये अर्थदण्ड सजा दिनांक 06.11.20
3.	330/20	18.11.2020	13 RPGO	336/20	23.12.2020	200 रूपये अर्थदण्ड सजा दिनांक 02.02.21
4.	06/23	07.01.2023	13 RPGO	05/23	23.01.2023	अर्थदण्ड सजा दिनांक 09.09.23

उक्त शख्स गोपाल पुत्र नाथूलाल जाति पूर्विया निवासी सींगवाडा थाना सदर जिला दौसा आदतन जुंआ खेलने का आदि है तथा रूपये पैसो का दांव लगाकर सार्वजनिक स्थान पर जुंआ/सट्टेबाजी करता हुआ कई बार पकडा गया है। गैर सायल अन्य लोगो को भी जुंआ खेलने के लिये प्रेरित करता है। वर्तमान में इसकी आपराधिक गतिविधियां निबाध रूप से जारी है। गैर सायल की आपराधिक गतिविधियों पर नियन्त्रण करने व समाज में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु [illegible] इस्तगासा प्रस्तुत कर उक्त गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासित करने की कार्यवाही कराने का निवेदन किया गया है।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल स्वयं न्यायालय में उपस्थित आया। लोक अभियोजक एवं गैर सायल की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.12.19 16:49:44 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की गैर सायल अपराधी के विरूद्ध पुलिस थाना सदर जिला दौसा में धारा 13 आरपीजीओ के चार प्रकरण दर्ज हुये है, जिनमे गैर सायल को अर्थदण्ड की सजा से दण्डित भी किया जा चुका है। न्यायालय से गैर सायल को पाबन्द करवाये जाने के बाद भी गैर सायल जुएं सट्टे के अपराध में लिप्त है। गैर सायल जुंआ सट्टा खेलने का आदि है तथा अन्य लोगो को भी जुआं सट्टा खेलने के लिये प्रेरित करता है। यह एक ऐसा अपराध है जिसने समाज के नवयुवक वर्ग को खोखला कर दिया है। गैर सायल को बार–बार जुंआ खेलते हुये गिरफ्तार करने एवं उसके विरूद्ध न्यायालय में चालान पेश करने पर माननीय न्यायालय द्वारा गैर सायल को दण्डित किये जाने के बावजूद भी वह अपनी हरकतों व आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नही लगा रहा है। बल्कि बिना किसी भय के लगातार इसी अपराध को आदतन रूप से करता चला आ रहा है। उक्त अपराधी के हौसले बुलन्द होते जा रहे है जिसका आसपास के क्षेत्र में जनता पर बुरा असर पड रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त अपराधी का जिला दौसा से निष्कासित किया जाना आवश्यक है। अतः गैर सायल गोपाल पुत्र नाथूलाल जाति पूर्विया निवासी सींगवाडा थाना सदर जिला दौसा को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण एक्ट 1975 के अन्तर्गत धारा 3 के तहत जनहित में दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाना आवश्यक है। ताकि उक्त शख्स की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लग सके।

गैर सायल द्वारा न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर बहस के दौरान निवेदन किया कि मेरे विरूद्ध दर्ज प्रकरण साधारण प्रकृति के है एवं उनमे न्यायालय द्वारा मुझे दण्डित भी किया जा चुका है वर्तमान में मेरे खिलाफ कोई प्रकरण विचाराधीन नही है। मै आदतन किस्म का अपराधी नहीं हुं। मै खेती बाडी करके एवं मंदिर में पूजा पाठ करने अपना व अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा हुं। अतः मेरे विरूद्ध दर्ज गुण्डा एक्ट की कार्यवाही ड्रोप फरमायी जावे।

लोक अभियोजक एवं गैर सायल की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैर सायल के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों में गैर सायल को सजा से दण्डित भी किया जा चुका है। जिला पुलिस अधीक्षक दौसा द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार गैर सायल गोपाल पुत्र नाथूलाल जाति पूर्विया निवासी सींगवाडा थाना सदर जिला दौसा जुआं सट्टा खेलने का आदि है एवं जुंआ सट्टा करने एवं कराने के दुष्प्रेरण में लगा हुआ है। गैर सायल आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त होने के कारण उक्त अधिनियम के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। वर्तमान में दौसा जिले में जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं विधानसभा उप चुनाव को मध्यनजर रखते हुये आमजन को जुंआ–सट्टे के अपराध के दुष्प्रेरण से बचाने के लिये ऐसे आदतन अपराधी के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा एक्ट 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे अपराधी समाज के माहौल को खराब नहीं कर सके एवं समाज में शांति एवं सदभावना बनी रहे।

उपरोक्त विवेचनानुसार गैर सायल गोपाल पुत्र नाथूलाल जाति पूर्विया निवासी सींगवाडा थाना सदर जिला दौसा को दिनांक 29.10.2024 से 30 दिवस की समयावधि के लिए दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि गैर सायल बस्सी जिला जयपुर के रास्ते होते हुये थाना कानोता जिला जयपुर पहुंचेगा तथा अपनी उपस्थिति थानाधिकारी थाना कानोता जिला जयपुर को दर्ज करवाएगा। निष्कासित समयावधि में गैर सायल थाना क्षेत्र कानोता जिला जयपुर में निवास करते हुए प्रत्येक रविवार को थानाधिकारी थाना कानोता जिला जयपुर के समक्ष अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक दौसा, पुलिस उपायुक्त जयपुर (पूर्व) एवं थानाधिकारी कानोता को पालना हेतु आदेश की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.12.19 16:49:44 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official